न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2014/00107

जयकिशन आयु 67 वर्ष आत्मज श्री हरिबल्लभ जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा संरक्षक बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्री सुरेन्द्र सुमन आत्मज श्री प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.01.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उप जिलाधीश, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 03.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 475 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 की रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 485 की रकबा 0.73 हैक्टर कुल किता 03 की रकबा 3.50 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी की भूमि है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 01 के मध्य लम्बे अर्से तक मुकदमेबाजी होती रही और अन्त में पक्षकारान

के मध्य राजीनामा हो गया । दिनांक 31.05.1999 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 01 के मध्य यह राजीनामा हुआ कि प्रार्थी हर वर्ष आखा तीज से पूर्व समझौता राशि मंदिर पर जमा करवाता रहेगा तब तक प्रतिवादी उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करेगा । यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी को मुनाफा काश्त पर नहीं दी तो प्रार्थी को हाली को किया गया भुगतान व्यर्थ चला जावेगा ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थी कम 01 प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थी से मुनाफा राशि जमा करवा ले ।

4. अप्रार्थी 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.12.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त बातों पर विचार किये बिना ही अपने निर्णय में केवल यह आलेखित किया कि अपीलान्ट खातेदार नहीं है । इस कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट ने स्वयं ही अपने आप को उपकृषक बताकर वाद प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पूर्वज पिछले 90 वर्षों से मुनाफा काश्त करते चले आ रहे हैं । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 01 के मध्य दिनांक 31.0.5.1999 को यह राजीनामा हुआ कि ग्राम मण्डानिया की उक्त भूमि 21800/– रूपये मुनाफा काश्त पर काश्त करता रहेगा तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने का अधिकार नहीं होगा । राजीनामे में यह भी शर्त थी कि दो साल का मुनाफा बाकी रहने पर रेस्पोडेन्ट के किसी भी अन्य व्यक्ति को मुनाफे पर देने का अधिकार होगा साथ ही यह भी शर्त थी कि अपीलान्ट उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को काश्त के लिये नहीं देगा । अपीलान्ट ने काफी मेहनत कर भूमि को अच्छी काबिल काश्त बनाया है तथा उसमें ट्यूबवेल भी लगावाया है । अपीलान्ट की स्थिति उपकृषक जैसी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 01 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । उक्त भूमि ठाकुर जी मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल जरिये टेम्पल बोर्ड मथुरेश जी के खाते में दर्ज है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मण्डानिया की आराजी कुल किता 04 की रकबा 4.11 हैक्टर भूमि ठाकुर जी मथुरेश जी विराजमान कोटा जरिये टेम्पल बोर्ड मथुरेशजी के नाम खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति राजीनाम संलग्न है । प्रथमदृष्टया प्रार्थी अपीलान्ट विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार नहीं है । प्रार्थी अपीलान्ट भूमि पर मुनाफा काश्त की भी हो तो इससे कोई हक, अधिकार उत्पन्न नहीं होते । किसी समझौते के आधार पर भी अपीलान्ट, प्रार्थी भूमि पर प्रथमदृष्टया कोई, हक, अधिकार नहीं रखता । प्रार्थी अपीलान्ट किसी भी प्रकार से उपकृषक की श्रेणी में भी नहीं माना जा सकता । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है । जब वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है तो प्रार्थी सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं बनता है और न ही प्रार्थी अपीलान्ट को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2014 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा